

जर्नी / अजायगीण की अचल सम्पत्ति का बत किया गया है। अजायगीण उक्त श्रुतियों को बचान / अनालण करने पर तथा राजस्व लेनॉर्ड में फैवदल करना चाहते हैं तथा बयफा की श्रुतियों पर किए व्यक्तियों को बचान का कच्चा करना चाहते हैं जिसके कारण जर्नी के एक अधिकाओं पर विपरीत अभाव पड सकता है। अतः ज. फा स्वीकार कर शीघ्र सुनवाई के आदेश आन करें। वकील जर्नी का ज. फा शीघ्र सुनवाई स्वीकार किया गया है। वास्तु पेश होने ज. फा शीघ्र सुनवाई का Notice हेतु मिलल दिनांक 24/01/15 को पेश हो।

102-10
17.1.

24/01/15

पत्रावली पेश हुई। वकील जर्नी उप.। अजायगी लं. 1, 2, 4 व 10 की ओर से भी सदात सिंह फुडी II ने बकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया अजायगी सं. 3, 5, 6, 7, 8 की लागिल सम्पन्न रूप से होकर लोटी है। बावजूद सम्पन्न लागिल अजायगीण की ओर से कोई हाजिर अदालत नही आया है। अतः अजायगी सं. 3, 5, 6, 7 व 8 के विवरु एक पत्रिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अजायगी ने दायें को पुनः नम्बर पर लिखे जाने बाबत कोई एरण नही होने बाबत अस्वात कटाया। वकील अजायगी की अनापत्ति पर वकील जर्नी ने ज. फा बाजदारी को स्वीकार किये जाते का निवेदन किया। वकील जर्नी के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया जर्नी दबाव पूर्व में पेश दया वाली ब्यागलाक वगै. बाजदारी बाबत दस्तावेज हक व स्यामी निवेधारी मु. सं. 62/2013 पूर्व में दिनांक 23/08/18 को बादी

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>जार्जी का अधिवक्ता अन्य न्यायालय में मुकदमों में पैवी से कले हेतु गमा हुआ होने की वजह से कले न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर दावा अदम हाजिरी खं अदम पैवी में छातीज फामा दिया गया। अतः ऐसी स्थिति में उपनि पत्र वाजदागी न्यायहित में स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता है। तथा पदाकात को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। जार्जी द्वारा उपर्युक्त पत्र वाजदागी स्वीकार किया जाकर मूल दावा उन्सानी घासी बजाग लालू वगै. वादपत्र वाजदागी दस्तकाल हक व स्थायी निवेद्याता मुकदमा सं. ३३ ०२/२०१३ को पुनः नम्बर पर लिखा जाता है। तथा जार्जी / पदाकात को पखद दिया जाता है कि वे सुनवाई हेतु दिनांक ३१/०१/१९ को न्यायालय में उपस्थित होंगे। पत्रावली फंसल शूमाए हौकर नम्बर से कम है तथा बाद तकमील दाखिल दफतल है। निधि छुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

बानीरध शाख
 (RAS)
 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेको) राण्डेला